

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(विभाग 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बगुकाग : नावां जिला नागौर राजस्थान


भागुराम पुत्र बगसाराम जाति जाट
सा. राजलिया तह. नावां

बनाम

मोतीराम पुत्र बगसाराम जाति जाट वगै.
सा. खारड़ापुरा तह. नावां हाल कुचामन सिटी

किस्म कुमदमा : 212 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर 0222/2022

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तारीख में जारी हुआ
28.10.2022	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाता हैं। प्रार्थी सोहनलाल पुत्र केशाराम जाति जाट निवासी राजलिया की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंगलाल बिजारिया ने प्रार्थना पत्र बाबत केवियट अन्तर्गत धारा 148 (ए) सीपीसी पेश किया है। उभयपक्ष को सुना गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>28/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकील मार अध्यक्ष के द्वारा आज नया तस्मान रखा है। पत्रावली दिनांक 25/11/23 को पेश हो।</p> <p>25/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार वधारे हे पत्रावली दिनांक 24/11/23 को पेश हो।</p> <p>24/11/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार वधारे हे पत्रावली दिनांक 24/11/23 को पेश हो।</p> <p>8/11/23 पत्रावली अदालत "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र राजलिया में आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी / प्रतिवादी हाजीर / गैर हाजीर। पक्षकारान् वादी / प्रतिवादी गण हाजीर / गैर हाजीर। पक्षकारान् के माध्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 8/11/23 को पेश हो।</p>	

तारीख हुकम

नम्बर व
अदालत
हुकम की
में जारी है

6/9/23

उत्तपपत्र उपर लखी पेश काने हेरु स्क्रिप्ट
ही गार्ड पत्रावली वानि समझाईश राष्ट्रीय
लोक अदालत में दि 9/9/23 को पेश हो
७५

9/9/23

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई
अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रापत्र प्रस्तुत कर निवेदन
किया कि उक्त प्रापत्र में उत्तपपत्रकारण के
मद्दत किसी प्रकार का विवाद नहीं है अतः
अल्पे विज्ञे खालि किया जावे ७५
अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र अल्पे विज्ञे खालि किया जाता
है पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर है कम
हो व दायित दृष्टा हो ७५

उपखण्ड अधिवक्ता
नाथ (डीडवाना-कुआन)